

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं वर्ष 2016-17
(खरीफ व रबी मौसम)

अधिसूचना

एवं

सम्बन्धित विभागों, बैंकों व बीमा कम्पनियों हेतु
निर्धारित दायित्व व समय सारणी

आपका दिनांक

कोफ

कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।

25.3.15

Amf.

विषय सूची

क्र० सं०	विषय	पेज संख्या
1	2	3
1.	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना-अधिसूचना	1-17
2.	जनपदवार अधिकृत बीमा कम्पनियों की सूची	(संलग्नक-1)
3.	जनपदवार अधिसूचित फसलें (खरीफ व रबी)	(संलग्नक-2)
4.	जनपदवार खरीफ फसलवार बीमित राशि व प्रीमियम दर	(संलग्नक-5)
5.	जनपदवार रबी फसलवार बीमित राशि व प्रीमियम दर	(संलग्नक-6)
6.	फसल बुवाई के उपरान्त प्रारम्भिक अवस्था से मध्य अवस्था तक ग्राम पंचायत में लगभग पूर्ण रूप से खरीफ मौसम की अधिसूचित फसल नष्ट होने पर अनुमन्य क्षतिपूर्ति	(संलग्नक-7)
7.	फसल बुवाई के उपरान्त प्रारम्भिक अवस्था से मध्य अवस्था तक ग्राम पंचायत में लगभग पूर्ण रूप से रबी मौसम की अधिसूचित फसल नष्ट होने पर अनुमन्य क्षतिपूर्ति	(संलग्नक-8)
8.	प्रदेश में खरीफ व रबी मौसम में बैंक द्वारा अधिकृत बीमा कम्पनी को तथा अधिकृत बीमा कम्पनी द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ०प्र० को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप	(संलग्नक-9 व 10)
9.	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं के उत्तरदायित्व से सम्बन्धित शासनादेश	शासनादेश सं०-1515/12-2-14, दिनांक 31.05.2014
10.	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना के सम्पादन हेतु निर्धारित समय सारणी	शासनादेश दिनांक 31.05.2014 के साथ संलग्न
11.	फसल बीमा योजना का जनपद स्तर पर अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति का शासनादेश	शासनादेश सं०-2680/12-2-2000, दिनांक 10.07.2000

